कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिंगरौली जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्र0/अ.अ.पु./सिंग./शिका./जनता/96/2015 दिनांक 14.10.15

प्रति

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

विषय :– आवेदक नीरज गुप्ता पिता मुन्नीलाल गुप्ता उम्र 30 वर्ष निवासी मेन मार्केट बरगवां थाना बरगवां जिला सिंगरौली (म0प्र0) के द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बध मे।

संदर्भ :– पत्र क्र0/पु.अ./सिंग./शिका./जनता/3238/15 दिनांक 07.10.15 के पालन मे।

महोदय,

आवेदक का नाम पता :– नीरज गुप्ता पिता मुन्नीलाल गुप्ता उम्र 30 वर्ष निवासी मेन मार्केट बरगवां
अनावेदक का नाम पता :– विप्रो कम्पनी के अधिकारी।
आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप :– कार्यवाही करने बावत्।
जांच अधिकारी का नाम पद :– राजेश सिंह परिहार एस.डी.ओ.पी. सिंगरौली।
जांच में पाए गए तथ्य :– उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित शिकायत आवेदन पत्र जांच हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुई, जांच के दौरान आवेदक के कथन लिए गए तथा दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

आवेदक ने अपने कथन पर बताया कि सुरेश महतो जो धनबाद जिला झारखण्ड का निवासी है, जो दिल्ली मे काम करता था जिससे मेरी जन पहचान हुई थी। दिनांक 15.02.2013 को सुरेश महतो विप्रो कम्पनी मे स्थाई नौकरी के लिए बताया व कहा कि 20,000रुपए सिक्योर्टी मनी देने होंगे व यह भी कहा गया कि उक्त पैसा चेक के माध्यम से रिफण्ड हो जाएगा मै भरोसे मे आकर 20,000रुपए उसके बताए हुए एकाउंट नं0 911010036113712 एक्सिस बैंक जो संधालिया आलोक कुमार के नाम से है मे डाल दिया था, जिसके बाद दिनांक 24.02.2013 को आफर लेटर आया ऑफर लेटर अंदर सिक्योरिटी मे था, उसमे न तो कुछ चेंज कर सकते है न ही प्रिंट कर सकते हैं। जिससे यह सब देख मैं ए0एन0जी0 कम्पनी प्रबंधन को इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के 15 दिवस के बाद सुरेश महतो के माध्यम से मुझे बताया गया की विप्रो कम्पनी मे मेंरी ज्वायनींग को अभी दो से तीन महीनें का वक्त लगेगा इस बीच मे अपनें घर (बरगवॉ, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश) आकर विप्रो कम्पनी के द्वारा बुलावे का इंतजार करनें लगा। तीन महीनें का समय गुजर जानें के बाद मेंरी बात सुरेष महतो के द्वारा मुझे एक नम्बर मिला नं0–08961596670 जो आलोक सान्डील्य के नाम से था से बात हुयी बात करनें पर मेंरी ज्वायनींग की प्रोसेस चालू हुयी और कम्पनीं के द्वारा दिनांक 18/06/2013 को एक मेल जिसमे मुझसे मेंरा मेंडीकल चेक करवानें की बात हुयी तब मैने अपनी मेंडीकल की जानकारी दिनांक 21/06/2013 को दिया उसके बाद दिनांक26/08/2013 को एक मेल जिसमे सिनर्जी एकाउन्ट आया जिसमें मुझे आई0डी0 *Log in 8740065472Password - wipro@123456* प्राप्त हुआ और मेंल के द्वारा बताया गया की यह एकाउन्ट 28 कार्यदिवस पुरे होनें पर साईड(https://synergy.wipro.com/NASApp/com/SynergyLogin.jsp) पर चालू होगी पर निर्धारित समय पर यह चालू नहीं हुआ और इसके बाद मुझे दिनांक

एस० डी० ओ० (पुलिस)
सिंगरौली
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

आफर मिला की अगर मैं एक या दो लडकों को और देता हूँ तो मुझे और बडे पोस्ट पर काम दिया जायेगा और मुझे एक मेल दिनांक 10/10/2013को जिसमे ऐ बताया गया की मेरी पोस्ठ अपग्रेट कर दिया गया है जिसका(Request No - H876400-H37) है और मेरे द्वारा लडकों को न देने की बात पर कम्पनी के द्वारा इसी मेल के माध्यम से ऐ बताआ गया कि अगंर मै अपनी कमीटमेन्ट को 48 घन्टे के अन्दर पुरा नही की तो मेरी ज्वाईन की प्रोसेस को रदृ कर दिया जाऐगा और तब मैने दिनांक 11/10/2013को एक मेल के माध्यम से कम्पनी से जानने का प्रयास किया कम्पनी को जो कुछ मुझसे चाहीऐ वो ईमेल के माध्यम से बताऐ और कम्पनी को सक्त चेताया की अगर मेरी और मेरे दोस्तो की ज्वाईन नही हुई तो मै इसके लिऐ कोंट मे जाउंगा और मेरे पास पर्याप्त सबुत भी हैं । अबतब मुझे ऐ अहसास हो चुका था कि यहा से मुझे कोई नोकरी नही मिलेगी और मेंरा भविष्य चौपट हो चुका है इसी कारण न्याय बावत् शिकायत किया हूं उपरोक्त के सम्बध मे न्यायालय मजिस्ट्रेट देवसर परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 204,311,419,420,467,468,34 भा.द.वि. का पेश किया हूं जो न्यायालय मे विचारणीय है।

सम्पूर्ण जांच पर पाया गया कि आवेदक द्वारा स्वयं दूसरो की बातो मे आकर ऑन लाईन पैसा नौकरी के सिक्योर्टी के लिए जमा किया था बाद मे कोई प्रतिकिया न मिलने पर आवेदक द्वारा कई जगह शिकायते की गई बाद मे आवेदक द्वारा न्यायालय देवसर मे परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 204,311,419,420,467,468,34 भा.द.वि. का पेश किया गया है, जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है आवेदक के प्रकरण का निराकरण न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है।

जांच निष्कर्ष :– आवेदक द्वारा परिवाद न्यायालय मे दायर किया गया है अतः प्रकरण का निराकरण माननीय न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है।

राजीनामा :– निरंक।

अतः प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :–

1. मूल आवेदन पत्र।
2. कथन 01 प्रति।
3. परिवाद पत्र।

सत्यापित

ए॰ जी॰ ओ॰ (पुलिस)
सिंगरौली
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

अनु0अधि0पुलिस
सिंगरौली
जिला सिंगरौली (म0प्र0)